सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 856 राँची, गुरुवार, 20 कार्तिक, 1939 (श०)

12 अक्टूबर, 2017 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

13 सितम्बर, 2017

कृपया पढ़ें-

1. उपायुक्त, बोकारो का पत्रांक-1475/स्था०, दिनांक 1 अक्टूबर, 2010
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक - 793, दिनांक 14 फरवरी, 2011; संकल्प सं० - 4395, दिनांक 30 जुलाई, 2011; पत्रांक - 370, दिनांक 12 जनवरी, 2013; पत्रांक-4539, दिनांक 21 मई, 2015 तथा पत्रांक-5564, दिनांक 23 जून, 2015
3. श्रीमती राजबाला वर्मा, भा०प्र०से०, तत्कालीन प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग-सह-संचालन पदाधिकारी का पत्रांक - 299, दिनांक 10 सितम्बर, 2012
4. झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का पत्रांक - 1893, दिनांक 10 अगस्त, 2015

संख्या-5/आरोप-1-332/2014 का.- 9793-- उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-1475/स्था०, दिनांक 1 अक्टूबर, 2010 द्वारा श्री जेवियर हेरेंज, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चास, सम्प्रति बर्खास्त के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये:-

"1984 सिख दंगे में मुआवजा भुगतान से संबंधित सरकारी निदेश पत्रांक-सं०यू० 13018/46/2005 दिनांक 16 जनवरी, 2006 से स्पष्ट है कि पूर्व में मुआवजा भुगतान किये गये लाभुकों को ही भुगतान किया जाना है । तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चास श्री जेवियर हेरेंज ने गलत अभिलेख तैयार कर श्री सर्वजीत सिंह कलसी को रू० 16,30,000/- एवं स्व० सरदुल सिंह कलसी (प्राप्तकर्त्ता श्री सर्वजीत सिंह कलसी) को रू०- 55,00,000/- का मुआवजा भुगतान किया । संबंधित अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि श्री कलसी को पूर्व में कोई भी भुगतान नहीं किया गया था। इस संबंध में चास थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है । वास्तव में जिला नजारत शाखा से रू०- 48,000/- का पूर्व में श्री कलसी को भुगतान किया गया था, अतः सरकारी निदेश के आलोक में रू०- 4,32,000/- का भुगतान किया जाना चाहिए था, जबकि रू०- 71,30,000/- का भुगतान कर दिया गया। इसके लिए श्री हेरेंज प्रथम दृष्ट्या दोषी हैं ।"

2. उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक-793, दिनांक 14 फरवरी, 2011 द्वारा श्री हेरेंज से स्पष्टीकरण की माँग की गयी । श्री हेरेंज द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने की दशा में विभागीय संकल्प सं०-4395, दिनांक 30 जुलाई, 2011 द्वारा श्री हेरेंज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्रीमती राजबाला वर्मा, भा०प्र०से०, तत्कालीन प्रधान सचिव; खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-299, दिनांक 10 सितम्बर, 2012 द्वारा श्री हेरेंज के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच-प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया ।

4. श्री हेरेंज के विरूद्ध आरोप, इनके बचाव-बयान तथा संचालन पदाधिकारी के जाँच-प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग के स्तर पर की गयी । समीक्षोपरान्त, संचालन पदाधिकारी के जाँच-

प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों हेतु इन्हें सेवा से बर्खास्त करने हेतु विभागीय पत्रांक-370, दिनांक 12 जनवरी, 2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी ।

5. श्री हेरेंज के पत्र, दिनांक 26 फरवरी, 2013 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब तथा दूसरे पत्र, दिनांक 15 अप्रैल, 2013 द्वारा पूरक जवाब समर्पित किया गया जिसके आलोक में पूरे मामले की पुनः समीक्षा की गयी, जिसमें इनके विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया । अतः समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री जेवियर हेरेंज, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, चास को असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49 (7) के तहत् प्रमाणित आरोपों के कारण सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया ।

6. तत्पश्चात् झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से श्री हेरेंज को सेवा से बर्खास्त करने संबंधी दण्ड अधिरोपण के प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त की गयी एवं विभागीय संकल्प सं०-8297, दिनांक 16 सितम्बर, 2015 द्वारा इन्हें असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49 (7) के तहत् सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया ।

7. उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री हेरेंज द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में याचिका (सं०-W.P.(S) No.-4772/2015) दायर की गयी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-24.08.2016 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है- "In view of the aforesaid facts and as a logical sequitor to the reasons stated hereinabove, the impugned order of punishment of dismissal vide memo dated 16.09.2015 (Annexure-16), issued under signature of the Respondent No. 4 being not legally sustainable, is quashed and set aside and the respondents are directed to reinstate the petitioner in service forthwith. However, respondents are at liberty to start the proceedings from the stage of supply of documents after affording reasonable opportunity to the petitioner and complete the proceeding expeditiously preferably within a period of six months from the starting of the initiation of the proceedings."

8. उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री जेवियर हेरेंज, बर्खास्त झा०प्र०से० को सरकारी सेवा में पुनर्बहाल करने तथा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत इनके विरूद्ध याचित दस्तावेजों की आपूर्ति करते हुए उसी प्रक्रम से

विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद् की बैठक, दिनांक 5 सितम्बर, 2017 में स्वीकृत किया गया है ।

9. अतः श्री हेरेंज को सरकारी सेवा में पुनर्बहाल किया जाता है । यह आदेश योगदान की तिथि से प्रभावी होगा ।

10. विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची की कार्यावधि में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71(ए) के द्वितीय परन्तुक का दुरूपयोग करने संबंधी आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-4765, दिनांक 29 मई, 2015 द्वारा श्री हेरेंज को निलंबित किया गया है । उक्त आदेश प्रभावी रहने के कारण पुनर्बहाल होने के बाद श्री हेरेंज निर्धारित मुख्यालय (प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची) में योगदान देंगे ।

11. कंडिका-8 में उल्लिखित निर्णय के अनुरूप झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत् श्री हेरेंज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है, जिसके लिए विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, बोकारो को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

12. श्री हेरेंज याचित अभिलेखों की सूची शीघ्र संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे, जिन्हें उपस्थापन पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर श्री हेरेंज को उपलब्ध कराया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 856-50